

न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्ता, बुण्डू (राँची)

RM वाद संख्या -04/2021-22

छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(i)b  
घासीराम महतो बनाम दिलीप कुमार महतो

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

विक्रेता का नाम एवं पता -

घासीराम महतो पिता-स्व० धनो महतो,  
ग्राम-सेरेंगहातु, पो०-सोनाहातु, थाना-सोनाहातु,  
जिला-राँची, झारखण्ड, जाति-कुर्मी (महतो)  
पेशा-खेती बारी।

क्रेता का नाम एवं पता -

दिलीप कुमार महतो पिता-स्व० मनसुक महतो,  
ग्राम-सेरेंगहातु, पो०-सोनाहातु, थाना-सोनाहातु,  
जिला-राँची, झारखण्ड, जाति-कुर्मी (महतो)  
पेशा-खेती बारी।

विद्वान अधिवक्ता का नाम -

श्री मनोज कुमार चौधरी।

विक्रेता द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक-04/08/2021 को आवेदन देकर छो० का० अधिनियम 1908 की धारा-46(i)b के तहत क्रेता दिलीप कुमार महतो पिता-स्व० मनसुक महतो, ग्राम-सेरेंगहातु, पो०-सोनाहातु, थाना-सोनाहातु, जिला-राँची, झारखण्ड, जाति-कुर्मी (महतो) पेशा-खेती बारी, के हाथों निम्नलिखित भूमि की बिक्री हेतु अनुमति माँगी है:-

भूमि की विवरणी

मौजा	थाना/थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकवा
सेरेंगहातु	सोनाहातु/65	112	1020	15 डी० चौहद्दी:- उ०-निलमोहन महतो वगै०। द०-अशोक कुमार महतो वगै०। पू०-भुवनेश्वर महतो। प०-विकेलाल महतो वगै०।

९

उक्त आवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी, सोनाहातु से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई। साथ ही सर्वसाधारण को जानकारी हेतु आम ईस्तेहार भी निर्गत किया गया है।

अंचल अधिकारी, सोनाहातु का पत्रांक-603(ii) दिनांक-13/08/2021 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। जो कि निम्नवत है।

- (1) प्रस्तावित जमीन के खयितानी रैयत लाल महतो वगैरह के नाम से दर्ज है।
- (2) खतियानी रैयत/पंजी II रैयत विक्रेता के दादा लगते हैं।
- (3) पंजी II के अनुसार रैयत का नाम जयनाथ महतो वगैरह है। तथा रैयत के पास रकबा-12.50 एकड़ भूमि है।
- (4) प्रस्तावित जमीन का मालगुजारी वर्ष 2020-21 तक वसूली गयी है।
- (5) जमाबंदी रैयत विक्रेता के परदादा लगते हैं। तथा खतियान के आधार जमाबंदी कायम है।
- (6) सर्वे खतियान के अनुसार प्रस्तावित जमीन कायमी किस्म की है।
- (7) प्रस्तावित जमीन बिक्री करने के पश्चात विक्रेता के पास रकबा-2.97 ए० भूमि शेष रह जाएगा।
- (8) विक्रेता प्रस्तावित जमीन को विमारी का इलाज एवं मकान बनाने हेतु बिक्री कर रहे हैं।
- (9) क्रेता एवं विक्रेता दोनो कुरमी जाति के सदस्य हैं।
- (10) क्रेता एवं विक्रेता दोनो एक ही जिला के निवासी हैं।

उपरोक्त प्रतिवेदन में अंचल अधिकारी, सोनाहातु ने छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा-46(i)b के तहत विक्रेता घासीराम महतो पिता-स्व० धनो महतो, ग्राम-सेरेंगहातु, पो०-सोनाहातु, थाना-सोनाहातु, जिला-राँची, झारखण्ड, जाति-कुर्मी (महतो) पेशा-खेती बारी, को क्रेता दिलीप कुमार महतो पिता-स्व० मनसुक महतो, ग्राम-सेरेंगहातु, पो०-सोनाहातु, थाना-सोनाहातु, जिला-राँची, झारखण्ड, जाति-कुर्मी (महतो) पेशा-खेती बारी, के हाथों प्रस्तावित भूमि के बिक्री करने की अनुमति देने की अनुशंसा की है।

इस न्यायालय के द्वारा दिनांक-08/04/2021 को निर्गत आम सूचना का तामिला प्रतिवेदन संबंधित अंचल कार्यालय से प्राप्त है। आज तक किसी भी व्यक्ति ने कोई आपत्ति दायर नहीं की है।

अतः अंचल अधिकारी, सोनाहातु के अनुशंसा के आलोक में निम्नलिखित भूमि की विक्रेता घासीराम महतो पिता-स्व० धनो महतो, ग्राम-सेरेंगहातु, पो०-सोनाहातु,

९



थाना-सोनाहातु, जिला-राँची, झारखण्ड, जाति-कुर्मी (महतो) पेशा-खेती बारी, को क्रेता दिलीप कुमार महतो पिता-स्व० मनसुक महतो, ग्राम-सेरेंगहातु, पो०-सोनाहातु, थाना-सोनाहातु, जिला-राँची, झारखण्ड, जाति-कुर्मी (महतो) पेशा-खेती बारी, के हाथों बिक्री करने की अनुमति छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 धारा-46(i)b के तहत दी जाती है। तथा अवर निबंधक, बुण्डू/जिला अवर निबंधक, राँची को आदेश दिया जाता है कि प्रस्तावित भूमि की बिक्री सरकार द्वारा निर्धारित दर से कम में नहीं करेंगे।

### भूमि का विवरण

मौजा	थाना/थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकवा
सेरेंगहातु	सोनाहातु/65	112	1020	15 डी० चौहद्दी:- उ०-निलमोहन महतो वगै०। द०-अशोक कुमार महतो वगै०। पू०-भुवनेश्वर महतो। प०-विकेलाल महतो वगै०।

लेखापित एवं संशोधित।



भूमि सुधार उप समाहर्ता।  
बुण्डू (राँची)।



भूमि सुधार उप समाहर्ता।  
बुण्डू (राँची)।